

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक

केस का प्रकार TA Misc. Case No. 145/2019-20

आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ												
23.10.19	आवेदक/आवेदिका बिनोद बिहारी नायक, पिता- स्व० सुरेन्द्र नायक, जाति- गोंड (अ.ज.जा.), ग्राम- दुनिया, थाना- सोनुवा, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। मौजा- दुनिया, थाना नं०- 571, खाता नं०- 178, खेसरा नं०- 195, रकवा- 0.06 ए० क्रेता बन कुमार हेम्ब्रम, पिता- राजबो हेम्ब्रम, जाति- हो (अ.ज.जा.), ग्राम- महिषाबेड़ा, थाना- सोनुवा, जिला प० सिंहभूम के पास जमीन बक्री/भू-हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का विवरण है:- <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th><th>थाना सं०</th><th>थाना</th><th>खाता सं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकवा एकड़ में</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>दुनिया</td><td>571</td><td>-</td><td>178</td><td>195</td><td>0.06 ए०</td></tr> </tbody> </table> आवेदक मकान बनाने एवं बीमारी का ईलाज हेतु 60,000/- (साठ हजार) रुपये की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का कुल रकवा 0.06 ए० को कुल कीमत 60,000/- (साठ हजार) रुपये मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते हैं। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी सोनुवा से अपना जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक 9.11.19 तक मांग करें। अभिलेख दिनांक 11.11.19 को उपस्थापित करें।	मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा एकड़ में	दुनिया	571	-	178	195	0.06 ए०	
मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा एकड़ में									
दुनिया	571	-	178	195	0.06 ए०									

Sum
23.10.19
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।